अनुस्मारक / सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः:वा0क0अधि0 / परिपत्र / 2021 / 1880 **लखनऊ::दिनांक::दिसम्बर,** 07 **,2021**

समस्त सम्मानित पीठासीन अधिकारी / सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः: प्रदेश स्तर पर दिनांक 11.12.2021 में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र सं0–1852 / 21 दिनांक 29.11.2021 एवं परिपत्र सं0–1488 / 21 दिनांक 02.09.2021 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत विभिन्न पीठों में लम्बित एकल व युगल पीठ के वादों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर अधिक से अधिक वादों को नियत करते हुए निस्तारित करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मंशा के अनुरूप दिनांक 11.12.2021 दिन शनिवार को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि उनकी पीठ में लम्बित वादों का परीक्षण करके सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित करें।

समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक द्वितीय अपीलों का निस्तारण करके उसकी सूचना फैक्स / ई–मेल / व्हॉट्सएप द्वारा प्रेषित करें। विशेष ध्यान रखा जाये कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित अपीलों का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

Vinay Singh 07.12.21

(विनय सिंह)
ए0जे0एस0
प्र0 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः:वा0क0अधि0 / परिपत्र / 1980 / 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2. मुन्सरिम, मुख्यालय।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/रा0लो0अदा0यु0पी0ग0/ / /2021लखनऊ,दिनांकः:दिसम्बर, 07 , 2021

–:: आदेश ::–

सुलह समझौते के आधार पर दिनांक 11.12.21 को आयोजित ''**राष्ट्रीय लोक अदालत**'' में चिन्हित दो दस्यीय अपीलों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश वैट नियमावली–2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत् निर्गत किया जाता है:–

क्रम सं0	बैठने का स्थान	कार्य–आवंटन	कार्य–अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
1	02	03	04	05	
1	पीठ–1 लखनऊ	पीठ–1 ,2व 3लखनऊ	दिनांक 11.12.21	पीठ–1,लखनऊ पीठ–3,लखनऊ	न्यायिक विभागीय
2	पीठ–1 कानपुर	पीठ–1,2,3 व 4 कानपुर	दिनांक 11.12.21	पीठ–1 कानपुर पीठ–2 कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ–1 गाजियाबाद	पीठ–1 व 2 गाजियाबाद	दिनांक 11.12.21	पीठ–1 गाजियाबाद पीठ–2 गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय
4	पीठ–1 इलाहाबाद	पीठ–1 व 2इलाहाबाद	दिनांक 11.12.21	पीठ–1 इलाहाबाद पीठ–2 इलाहाबाद	न्यायिक विभागीय
5	पीठ–1 वाराणसी	पीठ–1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दिनांक 11.12.21	पीठ–3 वाराणसी पीठ–5 वाराणसी	न्यायिक विभागीय
6	पीठ–1 आगरा	पीठ–1 व 2 आगरा	दिनांक 11.12.21	पीठ–1 आगरा पीठ–2 आगरा	(न्यायिक) व (विभागीय)

ह0/07.12.2021
(विनय सिंह)
एच0जे0एस0
प्र0अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1879 /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बंधित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1, 2व 3 लखनऊ/ पीठ–1 व 2 आगरा/पीठ–1, 2, 3 व 4 कानपुर/पीठ– 1 व 2 गाजियाबाद/पीठ–1 व 2 इलाहाबाद/पीठ– 1, 2, 3, 4, 5, व 6 वाराणसी।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।